

कार्यालय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, नवादा।

—: आदेश :—

मिशन निदेशक-सह-प्रधान सचिव, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार, पटना के पत्रांक 910 दिनांक 02.07.2018 से प्राप्त निर्देशानुसार नवादा जिला में कार्यपालक सहायक के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण की प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में दिनांक 10.01.2019 को प्रकाशित पैनल में से जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 06/मु0/स्था0 दिनांक 11.01.2019 से उपलब्ध कराये गये निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर अधोलिखित शर्तों के अधीन कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजित किया जाता है :-

क्र० सं०	Application ID	नाम	पिता का नाम	पता	कोटि
1	2	3	4	5	6
1	EXA/237000671	शैलेश रविदास	सुंदर रविदास	ग्राम-सोनारू पो0-फतुआँ जिला-पटना	SC

नियम व शर्तें :-

1. यह चयन प्रथम एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
2. योगदान के समय निम्न हार्डवेयर अनिवार्य रूप से लाना होगा, जिसका उपयोग उन्हें नियोजन कार्यालय में करना पड़ेगा।

A	CPU	Intel Core i3
	Chipset	Intel
	Memory	4 GB (mininum)
	Hard Disk	500 GB
	Monitor	14" LED (or higher)
	Operating System	Windows 7 (or higher)
	Additional Software	Microsoft office 2010 Adobe PDF Reader Internet Security (Antivirus) of any Renowned Company
	Browser	Google Chrome
	Additional Hardware	Optical Mouse Optical keyboard
B	One laser Printer	Black & White
C	One UPS	-
D	One Data Card For Internet	1 Mbps (mininum)

3. योगदान के समय अपना सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं एक फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
4. नियोजित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के द्वारा अनुमान्य मानदेय दी जायेगी। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। इसमें लगनेवाली Consumable item पेपर टोनर आदि की आपूर्ति पदस्थापन कार्यालय द्वारा की जायेगी। इन्टरनेट कनेक्शन का बिल नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा।

5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्य में सुधार करने हेतु एक मासिक का न्यायिक निष्पत्ति कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर नियोजित कार्य का अन्तिम अंश प्रस्तुत किया जायेगा।
6. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का सरकार द्वारा नियोजित अन्य कर्मियों के समान ही व्यवहार किया जायेगा।
7. नियोजित अन्यर्थियों का सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा माना नहीं जायेगा। नियोजित एकसारनामा नियोजन के समय प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व इनका अवधि विस्तार नहीं होता है तो अवधि समाप्त हो जायेगा।
9. सभी वयनित अन्यर्थी नवादा जिला के वेबसाइट पर नियोजन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत अन्तर एकसारनामा के साथ जिला समादेशक, विहार गृह स्थापना अन्तर्गत नियोजन प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर नियोजन प्रक्रिया समाप्त होगी।
10. सिविल सर्जन, नवादा के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आगदान के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

2/16/19

ज्ञापांक 43 / दिनांक 16.1.19

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, नवादा को कृपया सादर सूचनाार्थ सम्प्रेषित।

2/ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनाार्थ एवं अनुदेशित किया जा रहा है कि उक्त आदेश नवादा जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये।

2/16/19